



प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 07.06.2024 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयी:-

- 1. फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन का फर्जी तरीके से बैयनामा कराने का आरोपी गिरफ्तार थाना सिविल लाईन्स:-**



अवगत कराना है कि दिनांक 15.10.2023 को वादी श्री चुन्नी लाल पुत्र देवी राम निवासी दीनदयाल नगर थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद ने आरोपीगण द्वारा फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार कर वादी की जमीन का फर्जी तरीके से बैयनामा कराने के संबंध में थाना सिविल लाईन्स पर तहरीर दी, तहरीरी सूचना के आधार पर थाना सिविल लाईन्स पर मु0अ0सं0- 865/2023 धारा- 420,467,468,471 भादवि0 पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 07.06.2024 को व0उ0नि0 हरेन्द्र सिंह थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद द्वारा मय हमराही पुलिस बल के आरोपी सद्दाम पुत्र शफीन खां निवासी मियां कालोनी जयंती पुर थाना मझोला जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। साक्ष्यो के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 419/120बी भा0द0वि0 की वृद्धि की गयी। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

2. अवैध चाकू के साथ 01 आरोपी गिरफ्तार थाना नागफनी:-



अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अवैध शस्त्र निर्माण/ तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने एवं संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.06.2024 को उ0नि0 विष्णु कुमार थाना नागफनी जनपद मुरादाबाद द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त शुभम पुत्र जय प्रकाश निवासी दसवाघाट थाना नागफनी जनपद मुरादाबाद को अवैध एक चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना नागफनी पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0- 142/2024 धारा- 4/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

3. अवैध चाकू के साथ 02 आरोपीगण गिरफ्तार थाना कटघर:-




अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अवैध शस्त्र निर्माण/ तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने एवं संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.06.2024 को उ0नि0 कुलदीप कुमार थाना कटघर जनपद मुरादाबाद द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त राहुल पुत्र कौशल कुमार निवासी गुलाबबाडी छोटी मंडी थाना कटघर जनपद मुरादाबाद को अवैध एक चाकू तथा उ0नि0 सागर कुमार थाना कटघर जनपद मुरादाबाद द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त मौ0 इकराम पुत्र मौ0 अकरम निवासी ग्राम गोट थाना कटघर जनपद मुरादाबाद को अवैध एक चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना कटघर पर अभियुक्त राहुल उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0- 287/2024 धारा- 4/25 आयुद्ध अधिनियम व अभियुक्त मौ0 इकराम उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0- 288/2024 धारा- 4/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

4. अवैध अपमिश्रित शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ 01 आरोपी गिरफ्तार थाना कटघर:-



अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अवैध शराब निर्माण/ तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने एवं संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.06.2024 को उ0नि0 उचित कुमार थाना कटघर जनपद मुरादाबाद द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त सलीम पुत्र महबूब उर्फ पतले निवासी बरवाला मझरा थाना कटघर जनपद मुरादाबाद को अवैध 10 लीटर अपमिश्रित शराब व 1 किलो यूरिया, आदि शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना कटघर पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0- 285/2024 धारा- 272 भा0द0वि0 व 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



5. जनपदीय पुलिस द्वारा शान्ति भंग करने के 06 आरोपियों को किया गिरफ्तार:-



अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 07.06.2024 को **थाना कटघर पुलिस** द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग कर रहे आरोपीगण 1.अशोक पुत्र मलखान, 2. अरुण पुत्र मलखान, 3. ओमसिंह पुत्र मलखान, 4. सुमित पुत्र प्यारे सिंह निवासीगण सूरजनगर पीतलनगरी थाना कटघर जनपद मुरादाबाद, **थाना काँठ पुलिस** द्वारा आरोपीगण 1.अभिषेक पुत्र ओमप्रकाश निवासी मौ0 शिव बिहार कालोनी कस्बा व थाना काँठ जनपद मुरादाबाद, 2.जबर सिंह पुत्र स्व० कुन्दन सिंह निवासी ग्राम महमूदपुर माफी थाना काँठ जनपद मुरादाबाद को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं शान्तिव्यवस्था कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा 151/107/116 Cr.P.C में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

